मुख्यमंत्री मंगला पशुबीमा योजना (2024–25) के लिये **FAQ's**

Q.1	मंगला पशु बीमा योजना का उद्देश्य क्या है?
A 1.	प्रदेश के पशुपालकों को अमूल्य पशुधन का निःशुल्क बीमा कर पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करवाना है।
Q 2.	योजना का लाभ लेने हेतु कौन पात्र होगा ?
A.2	राजस्थान के पशुपालक जिनके पास जन आधार कार्ड धारक एवं टैग्ड पशु होना अनिवार्य होना चाहिए।
Q 3.	योजना में आवेदन कैसे करें ?
A 3.	योजना में आवेदन के लिए मोबाईल ऐप MMPBY वेब पोर्टल mmpby.rajasthan.gov.in पर स्वयं अथवा ई–मित्र केन्द्र पर जाकर पंजीकरण करवा सकते है।
Q 4.	योजना में चयनित होने के मापदण्ड क्या है ?
A 4.	योजना में लॉटरी के माध्यम से चयन होगा। पशुपालक के चयन के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक एवं लखपती दीदी कार्ड धारकों को प्राथमिकता दी जावेगी।
Q 5.	पशु को टेग कौन करेगा ?
A 5.	आपके क्षेत्र के जो भी नजदीक के राजकीय पशु चिकित्सा संस्था से संपर्क करें।
Q 6.	योजना के अन्तर्गत एक पशुपालक अधिकतम कितने पशुओं का बीमा लाभ ले सकता है?
A 6.	योजनान्तर्गत एक पशुपालक अधिकतम 2 unit यथा :– • 2 दुधारू गाय/भैंस • 1 दुधारू गाय और 1 दुधारू भैंस • 1 दुधारू गाय/भैंस और 1 से 10 तक बकरी/भेड/1 ऊंट • 1 ऊंट और 1 से 10 तक बकरी/भेड
Q 7.	योजना के लाभ की लेने में क्या कोई बाध्यता है?
A 7.	हॉ, योजना के अन्तर्गत उन्हीं पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जावेगा, जो किसी अन्य बीमा योजना के तहत् बीमित नहीं हो।
Q 8.	योजनान्तर्गत बीमा अवधि कितनी होगी?
A 8.	1 वर्ष
Q 9.	योजनान्तर्गत पशु की कीमत का मूल्यांकन कैसे किया जायेगा?
A 9.	पशु की कीमत का मूल्यांकन पशु के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन क्षमता, आयु, ब्यात् व नस्ल आदि के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार होगा।
Q 10.	दुधारू गाय की उम्र क्या होगी?
A 10.	3 से 12 वर्ष तक
Q 11.	दुधारू भैंस की उम्र क्या होगी?
A 11.	4 से 12 वर्ष तक
Q 12.	बकरी/भेड़ (मादा) की उम्र क्या होगी?
A 12.	1 से 6 वर्ष तक
Q 13.	ऊंट (मादा/नर) की उम्र क्या होगी?

A 13.	2 से 15 वर्ष तक
Q 14.	क्या योजना में जाति वर्ग के अनुसार आरक्षण रखा है?
A 14.	हॉ, अनुसूचित जाति हेतु 16% एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 12% आरक्षण का प्रावधान है।
Q 15	योजना में मृत पशु दावा में कौन से दस्तावेज लगाये जाते है?
A 15	दावा प्रपत्र के साथ समस्त दस्तावेज यथा,मूल पॉलिसी,सूचना का विवरण,पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पंचनामा(प्राकृतिक आपदा की स्थिति में), बैंक खाते का विवरण,मृत पशु का फोटो,टैग।
Q 16	इस योजना का नोडल विभाग कौन होगा?
A 16	इस योजना का नोडल विभाग पशुपालन विभाग होगा।
Q 17	पशुपालक द्वारा अपने बीमित पशु की बिक्री या उपहार करता है, तो क्या उसकों बीमा का लाभ मिलेगा?
A 17	नहीं, बीमा पॉलिसी समाप्त मानी जायेगी।
Q 18	योजना में पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा?
A 18	योजनान्तर्गत पशु का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र पंजीकृत पशु चिकित्सक द्वारा जारी किया जायेगा।